Appil/Rems-2019/00017 31/7/19

(नियम 133)

अज अदालत जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 05 / 2019 दायर दिनांकः–01.07.2019

बनाम

श्री देवीलाल पिता रावण पाटीदार
निवासी गामडा बामणिया
तहसील सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज0)

...................अपीलार्थी

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
सागवाडा व जिला डूंगरपुर

............विपक्षी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10.07.2019 1377/Rev 12/7/19	यह अपील प्रार्थी की और से विपक्षी विरूद्ध इस आशय के प्रस्तुत की है कि तहसीलदार सागवाडा के प्र.सं. 679/2018 निर्णय दिनांक 26.12.2018 के तहत मौजा गामडी बामणिया के ख.नं. 2797 कुल रकबा 01–08 बीघा किस्म बिलानाम भूमि में से 00–01 बीघा भूमि पर पुराने कब्जे पर धारा–91 एल.आर.एक्ट के तहत मौके से बेदखल, सिविल कारावास व जुर्माना के पारित आदेश से असंतुष्ट होकर उक्त निर्णय को धारा 75 एल.आर.एक्ट मय प्रार्थना–पत्र स्थगित रखने आदेश दिनांक 26.12.2018 के के अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की हैं। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षीगण हेतु दिनांक 31 .07.2019 को पेश है। 10/7/19 जिला कलक्टर डूंगरपुर
31.07.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी एवं पेरोकार सरकार हाजिर। प्रकरण का संक्षिप्त साराशं इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाडा के प्रकरण सं. 679/2018 निर्णय दिनांक 26.12.2018 के तहत मौजा गामडा बामणिया की आ.नं. 2797 कुल रकबा 01–08 बीघा बिलानाम भूमि में से रकबा 00–01 बीघा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर परकोटा निर्माण को धारा–91 एल.आर.एक्ट के तहत मौके से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास एवं लगान का 50 गुना पेनाल्टी राशि रूपया 300/– वसूल करने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर

31/7/19

Scanned by CamScanner

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-75 के तहत यह अपील प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस समायत की गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तथ्य प्रकट किये कि अपीलार्थी का विचारणीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं। उनके खातेदारी खेत/बाड़े पर पुराना पत्थरों का परकोटा बना हुआ हैं। अपीलार्थी के खेत/बाड़े की आबादी की आ.नं. 2789 की सुरक्षा हेतु काफी वर्षो पूर्व का पुराना पत्थरों का परकोटा ढहा दिया तथा अतिक्रमण हटा दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि विवेचित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित परकोटा हटा दिया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के उक्त कथन की पुष्टि हेतु तहसीलदार सागवाडा से विवेचित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सागवाडा ने ग्राम गामडा बामणिया की आ.नं. 2797 में से 00-01 बीघा अपीलार्थी के अतिक्रमित भूमि की उनके पत्र क्रमांक 737 दिनांक 30.07.2019 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट पेश की है। तहसीलदार सागवाडा की उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा विवेचित भूमि पर अतिक्रमण हटा दिया जाने की पुष्टि की हैं। अतः तहसीलदार सागवाडा की उक्त रिपोर्ट से उनके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 679/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 की पालना हो जाने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 679/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 को अपास्त किया जता है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हो जाने अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। तहसीलदार सागवाडा की मूल पत्रावली वापस लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner